AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government had issued any instructions to all the State Governments and high officials during the* recent Indo-Pak Conflict to the effect that in the case of civilians being killed during the hostilities the officers of the area concerned should visit the bereaved families and console them ; and

(b) if so, how far these instructions were carried out ?]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पन्त): (क) और (ख) सरकार ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को उचित आर्थिक सहायता तथा अन्य सुविधाएं जैसे उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा इत्यादि देने के लिए कदम उठाये हैं । ऐसे कोई विशिष्ट अनुदेश, जिनका प्रश्न में उल्लेख किया गया है, राज्य सरकारों को जारी नहीं किये गये ।

t[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : (a) and (b) Government has taken steps to provide reasonable financial relief to the members of the bereaved families and other facilities such as free education to their children etc. No specific instructions are referred to in the Question were issued to the State Governments.]

डाक विभाग के एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल कर्मचारी

*313. श्री राजनारायण :
श्री सीताराम सिंह :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय डाक विभाग में कितने एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल कर्मचारी काम कर रहे है ; और

(ख) उनके वेतनमान तथा सेवा की शर्तें क्या हैं ?

EXTRA DEPARTMENTAL EMPLOYEES OF THE POSTAL DEPARTMENT

*313. SHRI RAJ NARATN :
SHRI SITA RAM SINGH :

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number of extra departmental employees at present working in the Postal Department ; and

(b) what are their scales of pay and the terms and conditions of their service ?]

संचार मंत्री (श्री एच० एन० बहुगुणा): (क) 31 मार्च, 1971 को डाक विभाग में करीब दो लाख एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल कर्मचारी काम कर रहे थे ।

(ख) एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंटों का कोई नियमित वेतनमान नहीं है । उन्हें कार्य-भार के आधार पर भत्ता दिया जाता है । इसकी न्यूनतम और अधिकतम सीमाएं निर्धारित हैं । विभिन्न श्रेणियों के एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंटों को इस समय जो भत्ता दिया जाता है, वह इस प्रकार है :

श्रेणी	दिया जाने वाला कुछ भत्ता			
	न्यूनतम		अधिकतम	
	रुपये	प्रतिमास	रुपये	प्रतिमास
एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल नायब पोस्टमास्टर	52	,,	72	,,
एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सार्टर/सब रिकार्ड क्लर्क	52	,,	72	,,
एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल शाखा पोस्टमास्टर	25	,,	47	,,
ई० डी० डाकवाहक (रनर) डिलीवरी एजेंट्स, डाकिये, एल० बी० पियन, मिली-जुली ड्यूटी करने वाले एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल कर्मचारी	20	,,	42	,,

■f [ ] English translation.

श्रेणी	दिया जाने वाला कुछ भत्ता	
	न्यूनतम	अधिकतम
	रुपये प्रतिमास	रुपये प्रतिमास
एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल चौकीदार	20 "	42 "
एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल डाक-टिकट विक्रेता	32 "	47 "
एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल संदेशवाहक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल बाल संदेशवाहक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल बाल चपरासी	20 "	42 "

विभिन्न श्रेणियों के एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंटों के कार्य-भार, उनके काम में लगने वाले समय और वे जितना फासला तय करते हैं, उस पर समुचित ध्यान देते हुए भत्ते की न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अन्दर उनका भत्ता निश्चित किया जाता है।

एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट विभाग के नियमित कर्मचारी नहीं हैं। बल्कि उन्हें डाक के काम पर अंशकालिक आधार पर लगाया जाता है। उनकी सेवा की शर्तों का नियमन एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स (आचरण और सेवा) नियम 1964 के प्रावधानों के अनुसार होता है।

t[THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) As on 31-3-1971 the number of Extra Departmental Employees working in the Postal Department was about two lakhs.

(b) E. D. Agents do not have a regular icile of pay. They are paid an allowance on the basis of work load subject to certain prescribed Minimum and Maximum limits. The allowance at present admissible to various categories of E. D. Agents is as under :

Category	Consolidated Allowance	
	Minimum	Maximum
	Rs.	Rs.
E. D. S. P. M.	52.00 p. m.	72.00 p. m.
E. D. Sorters/SRC	52.00 p. m.	72.00 p. m.
E. D. B. P. M.	25.00 p. m.	47.00 p. m.
E. D. Mail Carriers (Runners) Delivery Agents, Postmen, L. B. Peon and E. D. employees performing Combined duties	20.00 p. m.	42.00 p. m.
E. D. Chowkidars	20.00 p. m.	42.00 p. m.
E. D. Stamp Vendors	32.00 p. m.	47.00 p. m.
E. D. Messengers E. D. Boy Messengers E. D. Boy Peons.	20.00 p. m.	42.00 p. m.

The actual amount is fixed between the minimum and the maximum limits after taking into consideration the work load, time spent and distance traversed as appropriate to different categories of E. D. Agents.

The E. D. Agents are not regular employees of the Department but are employed on Part Time basis for doing Postal work. Their conditions of service are regulated by the provisions contained in the Extra Departmental Agents (Conduct and Service) Rules, 1964.]

t[ ] English translation.